संख्या-56/2026 /001-1223-2026-1890657-12-2099-27-2025

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2026**

विषय:- उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क संचालन की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0/807-जी/सीड पार्क/2026-27 दिनांक 09 सितम्बर, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म -103-बीज-0404-उ0प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद-24-वृहद निर्माण से रू0 803.75 लाख को अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म -103-बीज-0404-उ0प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 803.75लाख (आठ करोड़ तीन लाख पिचहत्तर हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म -103-बीज-0404-उ0प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद 42 अन्य व्यय में धनराशि रूपये 853.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम/शर्ते

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइडलाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।

5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।

6. कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

7. कृषि निदेशक, स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

14. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

15. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

16. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

17. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

18. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययियिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,53,75,000 (रुपये आठ करोड़ तिरेपन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4401001030404 उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:बीएम-9 प्रपत्र

भवदीय,

संजीव रंजन

विशेष सचिव

संख्या-56(1)/2026/001-1223-2026-1890657-12-2099-27-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर
प्रदेश शासन,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 रंजना दूबे

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।